UPBJ010132822023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

विशेष सत्रवाद संख्या 2399/2023

राज्य प्रति समीर आदि

धारा–147,148,323,307,336,504,506 भा0द0सं0
धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
थाना–धामपुर।
जनपद–बिजनौर।

13–12–2023

पुकार पर अभियुक्तगण समीर, जावेद, शहजाद उर्फ बनिया, इद्रीश उर्फ मोटा, आदिल, अकरम, काले उर्फ हासिम व असलम अभिरक्षा में उपस्थित है।

प्रार्थनापत्र धारा 227 दं0प्र0सं0 एवं आरोप विरचन पर अभियुक्तगण, विशेष लोक अभियोजक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

यह प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण की ओर से धारा 307 भा0द0स का लोप करते हुए अन्य धाराओ में आरोप विरचित किए जाने हेतु इस आशय से प्रस्तुत किया है कि घटना के सभी घायलो की मेडिकल रिपोर्ट में सभी चोटे साधारण प्रकृति की बतायी गई है। कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं है जो धारा 307 भा0दं0सं0 की हद को पहुॅचती हो। डाक्टर ज्ञान सिहॅ ने बयानों में बताया है कि मजरूब काजल, पवन, रीना, प्रेमवती, अतुल उर्फ देशराज, खूब सिहॅ, बेगराज की सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं पायी गई। इसलिए धारा 307 भा0द0स का लोप करते हुए अन्य धाराओ में आरोप विरचित किया जाए।

वादी मुकदमा कमल कुमार की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन

किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से दिनॉक 12.10.2023 को 08:45 बजे ईट पत्थरो से पथराव किया गया था जिसमें प्रेमवती, पवन, खूबसिहॅ, बेगराज सिहॅ व रीना को गंभीर चोटे आयी थी। काजल के सिर, कौहनी, पैर, पवन के सिर में माथे, पैर एवं घुटने पर चोट थी। रीना के भी सिर में चोटे थी। प्रेमवती के सिर पर गंभीर चोट थी। अतुल के सिर, गले के दोनों ओर व पैर में चोट थी। दाहिने हाथ में कोहनी व पंजे में चोट थी। बेगराज की नाक पर गंभीर चोट थी। मुलजिमान द्वारा चुटैलो को ईट पत्थरो से चोटे पहुॅचायी गई और जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए चमार चटटे कहते हुए जान से मारने की नीयत से पथराव किया जिससे सभी चुटैलो को गंभीर चोटे आयी। गवाह हरस्वरूप, रमेश, चुटैल पवन ने अपने बयानों में घटना का पूर्ण समर्थन किया है। पत्रावली पर धारा 307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए विवेचक द्वारा प्रेषित आरोपपत्र के अनुसार आरोप बनाया जाए तथा अभियुक्तो का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा कमल ने इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि मेरे ताऊजी हरस्वरूप सिहॅ ग्राम इब्राहीमपुर लाल से टैम्पू में सवारी बैठाकर सेढा अडडे तक लाते व ले जाते है। हमारे गॉव का जावेद भी गॉव से सवारी का टैम्पू किराये पर सेढा अडडे तक ले जाता है। दिनॉक 12.10.2023 को समय करीब दो बजे दोपहर सेढा अडडा नहटौर रोड पर मेरे ताऊ और जावेद में टैम्पू पर सवारी बैठाने को लेकर कहा सुनी हो गई थी। वह मेरे ताऊ को अपने नम्बर पर भी सवारी नहीं बैठाने देता था। मेरे ताऊ ने असलम से दिन की इसी बात के संबंध में वार्ता करने के लिए कहा था। उसी दिन शाम के 08:45 बजे पवन के घर के सामने पहुॅचे तो समीर पुत्र असलम, जावेद पुत्र असलम, शहजाद उर्फ वनिया पुत्र भूरे, इद्रीश उर्फ मोटा पुत्र भूरे, आदिल पुत्र अकरम, अकरम पुत्र रमजानी व काले पुत्र फरीक ने गन्दी गंदी गालियॉ देते हुए व जान से मारने की नीयत से

ईटो से पथराव किया जिसमें प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, वेगराज सिहॅ, रीना देवी घायल हो गये, जिनके शरीर पर काफी चोटे आयी है। यह लोग जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर में प्राथमिकी मु0अ0स0 455/2023 अन्तर्गत धारा 147, 148, 307, 323, 336, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया।

विवेचना के पश्चात विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण समीर, जावेद, शहजाद उर्फ बनिया, इद्रीश उर्फ मोटा, आदिल, अकरम, काले उर्फ हासिम व असलम के विरूद्व आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 307, 323, 336, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट प्रेषित किया गया है जिस पर संज्ञान लिया गया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा कमल व उसके ताऊ दिन के 2 बजे की घटना के संबंध में शाम के समय असलम से वार्ता करने के लिए जाते समय गन्दी गन्दी गालियॉ देतेह ुए जान से मारने की नियत से ईटो से पथराव किया जाना कहा गया है परन्तु उक्त घटना में वादी मुकदमा कमल व उसके ताऊ हरस्वरूप को कोई चोट नहीं आयी है। इस पथराव में प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, वेगराज सिहॅ, रीना देवी का डाक्टरी परीक्षण धामपुर में उसी तिथि को कराया गया है जिसमें सभी चुटैलो की चोटे साधारण प्रकृति की पायी गई है। यद्यपि चुटैल काजल को एक्सरे की सलाह दी गई है। केस डायरी में डॉ0 ज्ञान सिहॅ ने विवेचक को दिए गए बयानो में काजल के शरीर पर आयी हुई चोटो की एक्सरे कराकर पूरक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सभी चोटे साधारण प्रकृति की पायी गई है। इसी प्रकार पवन, रीना, प्रेमवती, अतुल खूब सिहॅ, वेगराज की सभी चोटे साधारण प्रकृति की होने का कथन किया है। इस प्रकार चुटैलो की डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट, पूरक मेडिकल रिपोर्ट, व डाक्टर के बयानों से सभी चुटैलो

को आयी हुई चोटे साधारण प्रकृति की है। कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं है न ही प्राण–घातक है। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य के परिसीलन से अभियुक्तगण समीर, जावेद, शहजाद उर्फ बनिया, इद्रीश उर्फ मोटा, आदिल, अकरम, काले उर्फ हासिम व असलम के विरूद्व धारा 147,148,323,336,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप लगाये जाने का साक्ष्य उपलब्ध है। धारा 307 भा0द0ंस व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप लगाये जाने का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। तदनुसार प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण निस्तारित किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 307 भा0द0ंसं व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 13–12–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण समीर, जावेद, शहजाद उर्फ बनिया, इद्रीश उर्फ मोटा, आदिल, अकरम, काले उर्फ हासिम व असलम के विरूद्व धारा 147, 148, 323, 336, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 02–01–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 13–12–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट
बिजनौर।

UPBJ010132822023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

विशेष सत्रवाद संख्या 2399/2023

राज्य प्रति समीर आदि

धारा–147,148,323,336,504,506 भा0द0सं0
धारा 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
थाना–धामपुर, जनपद–बिजनौर।

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **समीर, जावेद, शहजाद उर्फ बनिया, इद्रीश उर्फ मोटा, आदिल, अकरम, काले उर्फ हासिम व असलम** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 12.10.2023 को समय 20:45 बजे ग्राम इब्राहीमपुर लाल पवन के घर के सामने थाना धामपुर, जनपद बिजनौर में आपने अपराध कारित करने के उदेश्य से विधि विरूद्व जमाव कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **147** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आप लोगो ने ईट पत्थरो से सुसज्जित होकर वादी कमल कुमार व उसके परिजनो के साथ बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **148** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा कमल कुमार व उसके परिजनो प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, बेगराज व रीना को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा कमल कुमार व उसके परिजनो प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, बेगराज व रीना को पथराव कर ऐसी चोटे पहुॅचायी जिससे उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो गया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **336** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा कमल कुमार व उसके परिजनो प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, बेगराज व रीना को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा कमल कुमार व उसके परिजनो प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, बेगराज व रीना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा कमल कुमार व उसके परिजनो प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, बेगराज व रीना को अपमानित करने के आशय से पथराव कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)द** एस.सी. /एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा कमल कुमार व उसके परिजनो प्रेमवती, काजल, अतुल, पवन, खूब सिहॅ, बेगराज व रीना को मारपीट कर पथराव कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 13–12–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 13–12–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।